UPBB010065942021

न्यायालय**: विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**,** न्यायालय सं**.04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

आदेश पत्र

निस्तारण प्रार्थनापत्र **ब 49 व ब 50**

31–08–2022

विशेष सत्र परीक्षण प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर अभियुक्ता मृदुला आनन्द न्यायालय पर उपस्थित हुई। डा० विजय कुमार जिला कारागार से उपस्थित। अभियुक्तगण रिंकू उर्फ नंदकिशोर, अमित कुमार, राजेन्द्र कुमार, संगम भास्कर, राम सिंह व तूफानीराम का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत, आज हेतु स्वीकृत।

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र ब 49 व ब 50 हेतु प्रस्तुत हुयी। चूंकि प्रार्थनापत्र ब 49 व ब 50 एक ही प्रकार के तथ्यों से सम्बंधित हैं, इसलिये उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थनापत्र ब–49 अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० अभियुक्त तूफानीराम की ओर से इस आशय का दिया गया है कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य व सबूत नहीं है। इसके विपरीत घटना के समय उसकी उपस्थिति नहीं दर्शायी गयी हे। उसने दिनांक 19–01–2015 को गनर ड्यूटी विजय कुमार विधायक बांसगांव से वापस आकर पुलिस लाइन गोरखपुर में 09:20 बजे अपनी आमद करायी थी। वह 20–01–2015 को गोरखपुर से लखनऊ ड्यूटी के लिये निकला और 21–01–2015 को पालीटेक्निक चौराहा पहुंचा जिसकी पुष्टि आरोप पत्र में संलग्नक जांच एजेन्सी के कागजातों से होती है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कथित घटना के समय वह गोरखपुर में था। आरोप पत्र

में उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उसे दोषी करार देने के लिये कोई साक्ष्य व सबूत नहीं है। उसके खिलाफ 216 IPC का भी कोई सबूत नहीं है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं है वह सरकार की तरफ से आरोपी विजय कुमार की सुरक्षा में तैनात था। घटना के समय वह गोरखपुर में उपस्थित था। उसे धारा 227 दं०प्र०सं० के अनुपालन में दोषमुक्त किया जाये।

प्रार्थनापत्र ब–50 अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० अभियुक्त राजेन्द्र कुमार की ओर से इस आशय का दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसे दौरान विवेचना एक सप्ताह बाद अपराधी को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार करके दिनांक 29 जनवरी 2015 को न्यायालय पर पेश किया गया जहां उसे उसी समय जमानत पर रिहा किया गया। वह घटना के समय गोरखपुर से बलाक प्रमुख था। उसके ससुर पूर्व सांसद लाल मणि प्रसाद जनपद बहराइच से प्रबल प्रत्याशी थे परन्तु अभियुक्त डा० विजय उनका टिकट कटवा कर उसी सीट से प्रत्याशी बन कर चुनाव में आये जिस कारण अभियुक्त डा० विजय से उसकी मनमुटाव व रंजिश चलने लगी। उसके विरूद्ध न्यायालय पर कालबाधित रूप से आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उसके विरूद्ध कार्यवाही जारी रखने योग्य नहीं है। प्रकरण में हुए विलम्ब के सम्बंध में न तो अभियोजन ने कोई प्रार्थनापत्र दिया और न हीं न्यायालय ने संज्ञान लेते समय विलम्ब को क्षमा करते हुए कोई आदेश पारित किया। उसके विरूद्ध घटना के बाद नामित अपराधी को शरण देगा, जैसा अपराध की घटना में संलिप्तता का कोई परोक्ष अथवा अपरोक्ष साक्ष्य विवेचना में प्रमाणित नहीं हुआ है और न ही विवेचक को कोई ठोस सम्पोषक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके विरूद्ध अपराध के अवयवों की पुष्टि विवेचना में नहीं हो पायी है। घटना की तिथि, स्थान व समय पर उसकी उपस्थिति विवेचना से न तो साबित हुई है और न ही कोई स्वतंत्र अथवा विश्वसनीय साक्ष्य है। तूफानी राम के 161 दं०प्र०सं० के बयान से भी अपराध की पुष्टि नहीं हुई है। अपराध की तिथि, समय व स्थान दोनो की परिस्थितियां भिन्न भिन्न परिक्षेत्र व परिप्रेक्ष्य में घटित होने वाली घटनाएं हैं। इन दोनो घटनाओं को आपस में क्लब करके विवेचना अग्रसारित रखी गयी जो विधि के अनुकूल व सैद्धान्तिक रूप से विधिमान्य न होने के कारण शून्य है। विवेचना में संकलित साक्ष्यानुसार नामित अभियुक्त डा० विजय की गिरफ्तारी हेतु अथवा उसे पकड़े जाने हेतु कोई आदेश/निर्देश तथा कथित आश्रय दिये जाने की तिथि पर निर्गत नहीं हुए हैं जिसके लिये उसे उत्तरदायी माना जाये। यह भी कथन किया गया कि स्थापित विधि है कि मात्र प्रथम सूचना पंजीयन से नामित व्यक्ति विधि के समक्ष अपराधी नहीं माना जायेगा जबतक कि विवेचना में संकलित साक्ष्य के

द्वारा उसे वांछित न किया जाये। नौकर सुभाष के विवेचक को दिये गये बयान दिनांक 22–01–2015 में यह कहीं नहीं आया है कि राम सिंह तूफानी राम गनर व राजेन्द्र उर्फ R.K. की आपस में दोस्ती थी और न ही यह आया कि तूफानी राम व राम सिंह ने आरोपी डा० विजय व अन्य को राजेन्द्र के घर में दिनांक 21–01–2015 की शाम 5–6 बजे लेकर गये थे व आश्रय दिलाये थे जैसाकि कालान्तर में दिनांक 27–01–2015 को शिवम व अर्पित के बयानों में उल्लेख आया है, पूर्णतया भ्रामक है तथा मामले को तरतीब देने के उद्देश्य से विवेचक ने झूंठा गढ़ा है। उक्त 21–01–2015 को तथाकथित आश्रय के पूर्व अभियुक्त की गिरफ्तारी के ऐसे कोई निर्देशक हुए हैं अथवा अभियोजन साक्ष्य से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि डा० विजय ने कोई अपराध कारित किया है और उसे वह जान व समझ रहा था और ऐसे अपराधिक ज्ञान के तहत उसने डा० विजय को संरक्षण दिया है, का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विवेचक ने तीनों राम सिंह, तूफानी व R.K. तथा डा० विजय से मोबाइल पर एक दूसरे के सम्पर्क पर रहे हो, के लिये CDR व मोबाइल लोकेशन के साक्ष्य जानबूझ कर संकलित नहीं किये और बाद में गढ़ी कहानी पेश की। तथाकथित ठहराये गये स्थान के स्वामित्व का अभिलेख, नक्शा नजरी निवास करने वाले सदस्यों अथवा पड़ोसियों के धारा 161 दं०प्र०सं० के सपोर्टिव साक्ष्य संकलित नहीं किये गये हैं, इस कारण से धारा 216 IPC के आपराधिक तत्व की पुष्टि विधिक ढंग से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पत्रावली पर कथित अपराध धारा 216 IPC से सम्बंधित कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और नही इसमें संलिप्त का ही साक्ष्य प्रथम दृष्टया मौजूद है। उसके विरूद्ध अपराध के विचारण हेतु अग्रसारित होने के लिये किसी प्रकार का सम्पोषक विधिक साक्ष्य नहीं है। वह अपराध की घटना के प्लानिंग का हिस्सा नहीं था और न ही विवेचक को उसके विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त हुआ। मात्र गिरफ्तारी के आधार पर उसको घटना में संलिप्त माना जाना किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। प्रकरण में संचालित प्रक्रिया उसके विरूद्ध लगाये गये अपराध की मंशा के विपरीत होने व न्यायिक दृष्टांत Nazir Ahamad Vs Kings Emperor 1936(2) Cr.L.J. 897 के निष्कर्ष "Where power is given to do certain thing in a Certain way the thing must be done in that way or not at all other methods of performance are necessarily for bidden", के उल्लंघन में संचालित प्रक्रिया होने के आधार पर वह उन्मोचन का पात्र है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन तभी मेरे छोटे .... थाने जाकर तहरीर दी .... मनोज .... साथ गये, पुलिस अधीक्षक व डायल 100 पर दी गयी सूचना सम्बंधी कुल पांच वर्क संलग्न किये गये हैं।

साक्ष्य स्थल लखनऊ में स्थित होना बताया गया है। लोकल क्षेत्राधिकार लखनऊ जनपद में पाये जाने के कारण दिनांक 08–05–2019 का प्रसंज्ञान आदेश निष्प्रभावी हेतु सी०जे०एम० न्यायालय बाराबंकी पर प्रस्तुत किया गया था जो अविधिक रूप से इस न्यायालय को अन्तरित कर दी गयी जबकि धारा 209, 193 दं०प्र०सं० की कार्यवाही के अनुसार अग्रसारित होना विधि के अनुरूप वांछित था। ऐसा कोई बयान सुभाष व सद्दाम ने नहीं दिया कि तूफानीराम व रामसिंह ने डा० विजय विधायक व मृदुला आदि को राजेन्प्द्र कुमार के लखनऊ निवास पर आपसी मदद से संश्रय दिया था जैसाकि साक्षी ने मजीद बयान में कहने का प्रयास किया है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थना करते हुए कहा गया कि धारा 216 IPC के अवयवों के अभाव होने, दो अलग अपराध की घटनाओं को एक मामले में सम्मिलित करके त्रुटिपूर्ण तरीके से विवेचना करने, 468 दं०प्र०सं० के उल्लंघन में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान व बाद संचालन विधिपूर्ण नहीं होने , प्रारम्भिक मेन सरिधा के आभाव में उसके द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रतिपारित विधिक सिद्धान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य इत्यादि पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए उसको आरोपित अपराध धारा 216 IPC से उन्मोचित किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 216 भा०दं०सं० बाखूबी साबित है तथा उनके द्वारा धारा 302 भा०दं०सं० के मामले के अभियुक्तगण को शरण दिलाकर गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र येन केन प्रकारेण पत्रावली में आरोप विरचन न होने के उद्देश्य से मामले में विलम्ब कारित होने हेतु एवं अवांछित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पूर्व तिथि पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है वादी श्री दिनेश चन्द्र द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि उनका लड़का शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा दिनांक 19–01–2015 को अपने आफिस गया था और वहीं से 12:30 बजे लखनऊ चला गया। डा० विजय कुमार विधायक (बासगांव) व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द (जिला विद्यालय निरीक्षक) ने नौकरी की बावत रू.3,50,000/– लिये थे, जिसको मांगने के उद्देश्य से वादी का लड़का उनके घर कई बार गया, परन्तु ये लोग टालते रहे, काफी दिन बाद उसके लड़के ने बताया कि डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी ने उससे

रू.3,50,000/– रूपये लिये हैं तब वह अपनी पत्नी के साथ डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द से लखनऊ में मिला तो उन्होने कहा कि परेशान न हो, लड़के का काम करा देंगें। दिनांक 19–01–2015 को समय करीब 05:45 बजे विधायक ने अपने आदमियों द्वारा शिखर को घर बुलवाया कि आकर पैसा वापस ले लो, वादी ने अपने छोटे बेटे शिवम से फोन पर बात की तो पता चला कि कुछ लोगों के साथ वह विधायक के यहां गया हुआ है, तो वादी फोन करता रहा और फोन भी मिलवाया, परन्तु फोन स्विच आफ बताता रहा। वादी का छोटा लड़का शिवम उनके सरकारी आवास निशातगंज लखनऊ गया जहां उसके नौकर ने बताया कि विधायक व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 4–5 अन्य लोग शिखर श्रीवास्तव को जबरदस्ती गाड़ी से ले गये हैं। गनर एवं घर के नौकरों से पूंछतांछ की गयी तो जवाब मिला कि विधायक जी से सबेरे साढ़े आठ बजे मुलाकात होगी। दिनांक 20–01–2015 को सुबह 08:20 बजे, शिखर के मोबाइल से वादी के छोटे बेटे के नम्बर पर पुलिस से सूचना आयी थी कि उसके भाई की लाश सड़क किनारे बदोसराय रामनगर मार्ग पर ग्राम बरदरी मरकामऊ में छत–विछत पड़ी है, जिस पर सभी लोगों ने पहुंचकर लाश की शिनाख्त की, तब वादी द्वारा थाने पर डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 5–6 अन्य व्यक्तियों पर शिखर की धारदार हथियार व लाठी डण्डा से मारकर हत्या कारित करने का एवं लाश छिपाने का आरोप लगाते हुए थाना बदोसराय में अपराध सं.16/2015, अन्तर्गत धारा 147, 148, 364, 302, 201 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

घटना के सम्बंध में शिवम श्रीवास्तव (मृतक के भाई) ने अपने मजीद बयान में बताया है कि डा० विजय के नौकर सद्दाम व सुभाष से जानकारी मिली कि बदलापुर के राम सिंह तथा गोरखपुर के राजेन्द्र कुमार फूलबाग में रहते थे तथा गनर तूफानीराम से दोस्ती आपस में थी। राम सिंह तथा तूफानीराम दोनो ने विधायक डा० विजय कुमार तथा मृदुला आनन्द, अर्पित तथा एक व्यक्ति और राजेन्द्र शुक्ला के सराय फूलबाग कालोनी में थाना गुडम्बा लखनऊ दिनांक 21–01–2015 को गये थे तथा राजेन्द्र के यहां छोड़कर गनर वापस चला गया था। राजेन्द्र के मकान से छिपाकर रहने के लिये छोड़कर शाम 5–6 बजे गनर वापस चला गया था। गनर का नाम तूफानीराम है। राजेन्द्र उर्फ R.K. के मकान में संश्रय देने में गनर तूफानीराम तथा मास्टर राम सिंह की भूमिका रही है। राजेन्द्र उर्फ R.K. का मोबाइल नं.9415069326 एवं 9919009576 है। राजेन्द्र उर्फ R.K. एवं मास्टर राम सिंह से पूंछतांछ की जाये तो विधायक का पता चल सकता है। हमलोगों ने राजेन्द्र उर्फ R.K. से विधायक एवं उनकी पत्नी के बारे में पूंछा था

तो राजेन्द्र उर्फ R.K. ने स्वीकार किया कि हमारे यहां रूके थे।

अर्पित श्रीवास्तव ने अपने मजीद बयान में बताया कि शिवम के साथ लखनऊ जाकर विधायक एवं उनकी पत्नी मृदुला आनन्द के बारे में घूम कर पता कर रहे थे तथा विधायक के नौकर सुभाष व सद्दाम से पूंछतांछ किया तो बताया कि बदलापुर के मास्टर रामसिंह तथा गोरखपुर के राजेन्द्र कुमार तथा गनर तूफानीराम की दोस्ती आपस में बहुत गहरी थी। रामसिंह तथा गनर तूफानीराम दिनांक 21–01–2015 के शाम 5–6 बजे राजेन्द्र उर्फ R.K. के घर उक्त विजय कुमार, उनकी पत्नी और अर्पित तथा दो अन्य व्यक्ति के साथ गये थे। गनर छोड़कर चला गया था। राजेन्द्र कुमार के मकान में संश्रय दिलाने में गनर तूफानीराम तथा मास्टर रामसिंह की भूमिका रही। जब राजेन्द्र के घर जाकर मैंने पूंछतांछ की तो उसने बताया कि हमारे यहां आये थे और रात में रूके थे।

तूफानीराम ने पुलिस को दिये बयान में बताया है कि दिनांक 19–01–2015 को मैं गोरखपुर में था। विधायक विजय कुमार उनकी पत्नी मृदुला आनन्द, दोनो बच्चे तथा रिंकू और संगम के साथ अपनी फारचूनर गाड़ी से पहुंचे सुबह 9 बजे। गाड़ी विधायक जी चला रहे। फिर टी०वी० पर न्यूज आन किये तो परिवार के लोग अन्दर बाहर होते रहे तथा मुझे कुछ नहीं बताया फिर शाम को 7 बजे मुझे रोडवेज बस पर बैठा दिया और कहा कि पालीटेक्निक पर मिलना और पांच सौ रूपया दिया। मैं दिन में 7–8 बजे सुबह 21–01–2015 को पालीटेक्निक पहुंच गया। वहां 1–2 घंटा इन्तजार किया। विधायक जी मिले उस समय उनके साथ अमित ड्राइवर, उनकी पत्नी, रिंकू तथा संगम थे बच्चे नहीं थे। मुझे वापस भेज दिया।

डा० विजय ने पुलिस को दिये अपने बयान में स्वीकार किया है कि दिनांक 20–01–2015 को पत्नी व बच्चों के साथ पत्नी के सरकारी आवास से निकल कर गोरखपुर गया था। टी०वी० पर खबर व समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि किसी शिखर श्रीवास्तव के मर्डर में मुझे नामजद किया गया है।

राजेन्द्र कुमार ने विवेचक को दिये अपने बयान मुं बताया है कि उसकी गनर तूफानीराम की और मास्टर रामसिंह जो विधायक के साथ चलते हैं, से आपस में घनिष्ठ सम्बंधी हैं। विधायक डा० विजय कुमार से मेरा मिलना जुलना था। उक्त घटना के सम्बंध में मुझे कोई 19 तारीख को नहीं थी। दिनांक 20–01–2015 को मोबाइल नं.9984562014 से मेरे नम्बर पर फोन आया कि जरा पता कीजिये कि बदोसराय थाने में मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा किया जा रहा है तथा इसी नम्बर से मुझे गनर तूफानीराम तथा मास्टर रामसिंह ने भी बात की थी तथा कहा कि विधायक जी को मदद

की जरूरत है। दिनांक 21–01–2015 की शाम 5–6 बजे विधायक विजय कुमार, उनकी पत्नी मृदुला आनन्द, ड्राइवर अमित और दो व्यक्ति गनर तूफानीराम तथा मास्टर रामसिंह मेरे घर आये। तूफानीराम एवं मा० रामसिंह ने कहा कि हम लोगों का अनुरोध है कि एक रात के लिये विधायक जी और उनकी पत्नी तथा अन्य लोगों को घर में पनाह दे दीजिये। मैं भावुक हो गया तथा बिना सोचे समझे इन लोगों को अपने घर में संश्रय दे दिया।

रामसिंह ने विवेचक को दिये अपने बयान में कहा है कि मेरे तथा गनर तूफानीराम की आपस में अच्छी दोस्ती थी तथा राजेन्द्र हम लोग मित्र हैं जो गोरखपुर में रहते हैं। दिनांक 20–01–2015 को विधायक जी ने फोन करके मुझे गोरखपुर बुलाया था और बताया था कि मेरे व मेरी पत्नी के खिलाफ बाराबंकी में हत्या का मुकदमा किया गया है। मेरी मदद के लिये मेरे साथ चलो। फिर मैं उनके साथ 21–01–2015 को लखनऊ आ गया और शाम में गनर तूफानीराम विधायक तथा उनकी पत्नी मृदुला, ड्राइवर अमित राजेन्द्र के घर फूलबाग करीब 5,6 बजे पहुंचे तथा राजेन्द्र से कहा कि विधायक जी इस समय परेशान हैं। इनको आज रात अपने घर पर आश्रय दे दीजिये। हम लोगों की आपस में पुरानी दोस्ती है। इसके बाद गनर तूफानीराम वहां से चले गये। मैं विधायक व अन्य लोग रात में राजेन्द्र के घर रूक गये और सुबह 7.35 बजे चले गये।

तूफानीराम ने विवेचक को बयान दिया है कि दिनांक 20–01–2015 की सुबह विधायक जी अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर पहुंचे। तब टी०वी० पर समाचार आने पर कहे कि मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा बाराबंकी में किया गया है तथा शाम मुझे रोडवेज बस में बैठा दिया तथा पांच सौ रूपये दिये तथा एक फोन दिया जिसका नम्बर 9984562014 था और कहा कि इसे लेकर चलो, पालीटेक्निक पहुंचकर मुझसे 9984996061 पर बात करना और मोबाइल बन्द करके मैं पालीटेक्निक आया और विधायक जी द्वारा दिये गये नम्बर पर फोन मिलाकर बात किया। शाम 8:30 बजे दिनांक 21–01–2015 को आये और मुझे दिया गया मोबाइल फोन ले लिया और फिर शाम को मैं मास्टर रामसिंह, उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा ड्राइवर अमित दो अन्य लोगों के साथ राजेन्द्र के घर पर गये और दोस्ती का हवाला देकर उनके यहां पर रूकवा दिया और मै। वापस चला आया था।

इस तरह अभियोजन साक्षी शिवम एवं अर्पित द्वारा डाक्टर विजय के नौकर सद्दाम और सुभाष से पूंछने पर नौकरो द्वारा यह बताया गया कि विधायक जी राजेन्द्र के घर गोरखपुर में शरण लिये हैं और उनको शरण दिलाने में मास्टर रामसिंह एवं गनर

तूफानीराम की भूमिका है। गनर तूफानीराम व मास्टर राम सिंह ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि उनकी राजेन्द्र से अच्छी दोस्ती है और विधायक जी अपनी पत्नी, ड्राइवर अमित एवं 2–3 अन्य लोगों के साथ घटना के पश्चात् यह जानकारी होने पर कि उनके विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है, राजेन्द्र के घर गोरखपुर में शरण लिये थे। राजेन्द्र ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में विधायक डा० विजय कुमार, उनकी पत्नी मृदुला आनन्द, ड्राइवर अमित एवं 2–3 अन्य लोगों का उसके घर गोरखपुर में शरण देना स्वीकार किया है। इस तरह से स्पष्ट है कि तूफानीराम एवं राजेन्द्र दोनो को ही इस बात का पता था कि डा० विजय एवं उनकी पत्नी मृदुला आनन्द को पुलिस, हत्या के सिलसिले में तलाश रही है तथा उनका नाम हत्या के मुकदमें में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज हो चुका है। यह तथ्य जानते हुए भी अभियुक्त तूफानीराम एवं राजेन्द्र द्वारा डा० विजय कुमार एवं उनकी पत्नी मृदुला, ड्राइवर अमित को राजेन्द्र के घर में शरण देकर पुलिस की पहुंच से दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाई गयी।

जहांतक अभियुक्त राजेन्द्र कुमार का यह कथन है कि धारा 216 भा०दं०सं० के अधीन संज्ञान की समय सीमा तीन वर्ष है और प्रस्तुत मामले में संज्ञान वर्ष 2019 में लिया गया है, इस कारण उपरोक्त संज्ञान आदेश भी त्रुटिपूर्ण है तथा धारा 216 भा०दं०सं० कामुकदमा अलग पंजीकृत होना चाहिए था, तो यहां इस बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि धारा 216 भा०दं०सं० में ऐसे व्यक्ति को, जिस किसी अपराध के लिये पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है और अन्य व्यक्ति उस व्यक्त का पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देता है और यदि अपराध मृत्यु के दण्ड से दण्डनीय है तो वह दोनो में से किसी भीर भांति तथा कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा । प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण डा० विजय, मृदुला आनन्द, अमित, संगम एवं रिंकू उर्फ नंदकिशोर पर धारा 302 भा०दं०सं० के अधीन आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें मृत्यु दण्ड तक का प्राविधान है और धारा 302 भा०दं०सं० के मामले में नामित अभियुक्तगण को तूफानीराम एवं राजेन्द्र कुमार द्वारा पुलिस की पहुंच से दूर करने का प्रयास किया गया है, इस कारण धारा 468 दं०प्र०सं० के अधीन संज्ञान हेतु वर्णित तीन वर्ष की समय सीमा प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होगी, क्योंकि मूल अपराध धारा 302 भा०दं०सं० व धारा 216 भा०दं०सं० का अपराध एक ही सव्यवहार के अनुमक्रम में अत्यंत अल्प अन्तराल में किये गये हैं और एक ही घटना से सम्बंधित हैं। इसलिये उनका विचारण एक साथ किये जाने में कोई बाधा नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त तूफानीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ब–49 तथा अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ब–50 में कोई बल नहीं पाता हूं और उपरोक्त दोनो प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त तूफानीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ब–49 तथा अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ब–50 वास्ते उन्मोचित किये जाने अपराध धारा 216 भा०दं०सं० तद्नुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र ब–48 लंचबाद पेश हो।

दिनांक 31–08–2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव **)**
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।